

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 111-124	106/24	18/4/2024		21/5/2024

अनवान

श्री बंगोली 010 शकेश कुमार व/व/पुत्रिया श्री प्रमोदलाल 3/0 लोकमा जाति बेगार
जाति बेगार

निवासी बिजौलिया कलां निवासी प्रिमपुरा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री वामपूल धाकड़

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

बंगोली

बनाम

प्रभुलाल

किस मुकदमा -

111-128

नम्बर

106

/2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/4 /2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 2/5/2024 को पेश हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वाली/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/5/24 को वास्ते उचित प्रेश हो:</p> <p><i>gan</i> उपखण्ड अधिकारी</p>	
2/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्रार्थी उपरख्त। विपक्षीय वी बाद तामील प्राप्त हुई, इसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीय वे विवद एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते आदेश अणामी दिनांक 14/05/24 को पेश हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	
14/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में विनय/भोश पारित किए गए। पत्रावली फ़ैल्ल शुमार होकर नम्बर से कम होकर पारित पक्षर हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 106/24

तारीख 18/4/24

अनवान

रंगोली पुत्री राकेश कुमार खानपुरिया जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

01. प्रभुलाल पुत्र होकमा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. उषा पत्नि सुरेश कुमार जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. प्रेमलता पत्नि कुन्तीलाल जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भारती पत्नि प्रकाशचन्द जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 14/5/24

प्रार्थना पत्र रंगोली पुत्री राकेश कुमार खानपुरिया जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 137 पर अंकित आराजी संख्या 356/65 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 137 पर अंकित आराजी संख्या 356/65 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 18/4/24

प्रकरण संख्या - 106/24

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 106 / 2024 पत्थरगढी बाबत।

रंगोली पुत्री राकेश कुमार खानपुरिया जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रार्थीया

बनाम

01. प्रभुलाल पुत्र होकमा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. उष्ण पत्नि सुरेश कुमार जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. प्रेमलता पत्नि कुन्तीलाल जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भारती पत्नि प्रकाशचन्द जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियाँ कला तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 137 पर अंकित आराजी संख्या 356/65 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



8/1
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा